खाता खोलने का फ़ॉर्म (जमा खाता)

निवासी व्यक्तियों के लिए

भारतीय स्टेट बैंक
हर मोड़ पर आपके साथ

सिर्फ़ बैंकिंग.
और कुछ नहीं.

एक सही निर्णय आपका जीवन बदल सकता है

हर भारतीय का बैंक

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

फ़ॉर्म 60

यह घोषणा फ़ॉर्म उस व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा जिसके पास या तो कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) या सामान्य सूचकांक पंजीकरण संख्या (जीआईआर नंबर) नहीं है और जो नियम 114बी के खण्ड (क) से (ज) में निर्दिष्ट लेनदेन के संबंध में नकद भुगतान करता हैं।

घोषणाकर्ता का पूरा नाम एवं पता ______________________________

____

____

लेनदेन के विवरण : ______________ खाता (खाते) खोलना

____

क्या आप कर निर्धारिती हैं ☐ हाँ ☐ नहीं

यदि हाँ, ता

i) जहां पिछली आय-कर विवरणी भरी गई हो, उस वार्ड/सर्कल/रेंज के विवरण

ii) स्थायी खाता संख्या (पैन)/सामान्य सूचकांक पंजीकरण संख्या (जीआईआर) नहीं रखने का कारण ______________

स्तम्भ (1) में पते के समर्थन में प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों के विवरण ______________

सत्यापन

मैं ______________ एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण, मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

सत्यापन किया गया ______________ दिन ______________ माह ________ वर्ष

______________ स्थान : ______________

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

फ़ॉर्म डी ए-1 (नामांकन फ़ॉर्म)

बैंक जमाओं के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडए और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 के नियम (1) के अंतर्गत नामांकन।

नामांकन क्रम संख्या ....

मैं/हम ______________ निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करता/करती हूँ/करते हैं जिसे मेरी / हमारी / अवयस्क की मृत्यु पर जमा राशि, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वापस की जाए। नामांकन क्रम संख्या

____

(जिस शाखा/कार्यालय में राशि जमा रखी गई है, उसका नाम एवं पता)

जमा राशियों का ब्यौरा :

जमा राशि का प्रकार : ______________ खाता संख्या : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

अतिरिक्त ब्यौरा, यदि कोई हो : ______________

नामिती का ब्यौरा :

नाम : नाम मध्यनाम अंतिम नाम कुलनाम

जमा कर्ता के संबंध : ______________ आयु : ☐☐ नामिती की जन्मतिथि : दि दि मा मा व व व व

पता :

शहर : ______ पिन : ______ राज्य : ______

नामित की सीआइएफ़ संख्या (एलसीपीसी के द्वारा भरी जाए) : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

चूंकि नामिती इस तिथि को अवयस्क है, मैं/हम श्री/श्रीमती/कुमारी ______________ आयु : ________ वर्ष

पता : ______________________________

____

को नामिती की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने पर नामिती की ओर से जमा राशि प्राप्त करने हेतु नियुक्त करता / करती हूं / करते हैं।

दिनांक : दि दि मा मा व व व व

स्थान : ______________

जमाकर्ता (ओं) के हस्ताक्षर/अगूँठे का निशान

कृपया केवल काली स्याही से ही हस्ताक्षर करें

प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर / अगूँठे का निशान**

नाम : ______________

पता : ______________

द्वितीय साक्षी के हस्ताक्षर / अगूँठे का निशान**

नाम : ______________

पता : ______________

* यदि जमा राशि अवयस्क के नाम में हो, तो विधि अनुसार कार्रवाई करने के पात्र अथवा अवयस्क की ओर से कार्रवाई करने का पात्र किसी व्यक्ति द्वारा नामांकन फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

** अंगूठे का/के निशान दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित किए जाने चाहिए।

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

खाता खोलने का फ़ॉर्म : भाग 1

प्रत्येक आवेदक द्वारा अलग-अलग भरा जाए (केवल नए ग्राहकों के लिए)

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए) सीआइएफ़ सं. | खाता सं. | दिनांक : दि. दि. मा. मा. व. व. व. व.

शाखा नाम और कोड नम्बर की रबड़ स्टाम्प लगाएं

एकल/प्रथम आवेदक

1. कृपया स्पष्ट अक्षरों में भरें और हस्ताक्षर हेतु काले रंग की स्याही का उपयोग करें। कृपया दो शब्दों के बीच में एक बॉक्स खाली छोड़ें। उपयुक्त बॉक्सों में टिक (✓) करें।
2. तारक (*) लगाए गए रिक्त स्थानों को भरना अनिवार्य नहीं है।
3. नियत बॉक्स में पासपोर्ट आकार का एक फ़ोटो चिपकाएँ। पासबुक में चिपकाने हेतु दूसरा फ़ोटो भी संलग्न करें।
4. अवयस्कों के खाते खोलने हेतु, जहां पहचान/पते का प्रमाण उपलब्ध नहीं है, यह पिता/माता और नैसर्गिक अभिभावक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
5. निरक्षर ग्राहकों के मामले में, बाएँ अंगूठे का निशान लगाकर सत्यापित किया जाए।

व्यक्तिगत विवरण

ग्राहक का प्रकार : ☐ पब्लिक ☐ स्टाफ़ **वरिष्ठ नागरिक :** ☐ हां **अवयस्क :** ☐ हां

नाम : ☐ श्री. ☐ सुश्री. ☐ श्रीमती. अन्य _____

नाम | मध्यनाम | अंतिम नाम/कुलनाम

पिता/पति/अभिभावक का नाम : ☐ श्री. ☐ सुश्री. ☐ श्रीमती. ☐ अन्य _____

नाम | मध्यनाम | अंतिम नाम/कुलनाम

जन्म तिथि : दि. दि. मा. मा. व. व. व. व. **लिंग :** ☐ पुरुष ☐ महिला **राष्ट्रीयता :** _____

माता का विवाहपूर्व नाम : **वैवाहिक स्थिति :** ☐ विवाहित ☐ अविवाहित ☐ अन्य

विशेष पहचान संख्या (यूआइडी) : पिता/माता की यूआइडी (यदि आवेदक अवयस्क है) :

विशिष्ट पहचान संख्या

पत्र व्यवहार का पता (वर्तमान निवास/कार्यालय)

निकटवर्ती प्रमुख स्थान :

शहर : **पिन नम्बर :** **राज्य :**

टेलीफ़ोन नम्बर : **मोबाइल नम्बर :**

मोबाइल नम्बर का उपयोग एसएमएस अलर्ट्स भेजने के लिए किया जाएगा.

स्थायी पता

निकटवर्ती प्रमुख स्थान : ☐

निकटवर्ती प्रमुख स्थान :

शहर : **पिन नम्बर :** **राज्य :**

टेलीफ़ोन नम्बर : **फ़ैक्स नम्बर :**

ई-मेल का पता :

ई-मेल पते की आवश्यकता अलर्ट्स व ई-विवरणों के लिए है।

अतिरिक्त विवरण (जहां भी लागू हो)

आय : _____ ☐ **मासिक** ☐ **वार्षिक** **सम्पत्ति (अनुमानित मूल्य) :** रु. _____

***धर्म :** ☐ हिन्दू ☐ मुस्लिम ☐ ईसाई ☐ सिख ☐ अन्य _____

***श्रेणी** ☐ सामान्य ☐ ओबीसी ☐ अनु.जाती ☐ अनु. जन जाति

शैक्षणिक योग्यता : ☐ गैर-स्नातक ☐ स्नातक ☐ स्नातकोत्तर ☐ अन्य _____

रोज़गार का प्रकार : ☐ वेतनभोगी ☐ स्वनियोजित ☐ व्यवसाय ☐ सेवानिवृत्त ☐ छात्र ☐ अन्य _____

संगठन का नाम : _____ ***पदनाम/व्यवसाय** _____

पासपोर्ट सं. ***अन्य** _____

मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लायसेन्स/सरकारी/रक्षा पहचान पत्र कार्ड सं.

आयकर पैन **या फ़ॉर्म 60/61** ☐

यदि पैन उपलब्ध न हो तो कृपया फ़ॉर्म 60/61 भरें

वाहन ☐ कार ☐ दुपहिया ☐ अन्य _____

जीवन बीमा मूल्य : ☐ रु. 2 लाख तक ☐ रु. 5 लाख तक ☐ रु. 5 लाख से अधिक

जीवन बीमा : ☐ एसबीआई लाइफ़ ☐ अन्य _____

वर्तमान ऋण : ☐ कार ऋण ☐ आवास ऋण ☐ वैयक्तिक ऋण ☐ शिक्षा ऋण ☐ व्यवसाय/कृषि ऋण

आवास : ☐ पैतृक ☐ स्वयं के नाम में ☐ किराये का ☐ नियोक्ताओं का

म्यूचुअल फ़ण्ड : ☐ एसबीआईएमएफ़ ☐ अन्य ☐ कोई निवेश नहीं

क्रेडिट कार्ड : ☐ एसबीआई कार्ड ☐ अन्य _____

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

पहचान संबंधी विवरण

केवल पासपोर्ट जहां पासपोर्ट में दिया गया पता इस फ़ॉर्म के प्रथम पृष्ठ पर उल्लिखित पत्रव्यवहार के पते के समान है।

जारीकर्ता _____ जारी करने की दिनांक दि. दि. मा. मा. व. व. व. व.

या

फ़ोटो पहचान और पते के प्रमाण के लिए निम्नलिखित दो स्तम्भों में से प्रत्येक में से कोई एक दस्तावेज (कृपया उपयुक्त बॉक्स में टिक करें और नीचे विवरण प्रस्तुत करें) :

पहचान का प्रमाण	**पते (पत्र व्यवहार के पते) का प्रमाण**
क) पासपोर्ट/पीपीओ, यदि पता खाता खोलने के फ़ॉर्म में उल्लिखित पते से अलग हो ☐	क) क्रेडिट कार्ड विवरण ☐
ख) मतदाता पहचान-पत्र ☐	ख) वेतन पर्ची (पते के साथ) ☐
ग) पैन कार्ड ☐	ग) आय कर/धन-संपदा कर निर्धारण आदेश ☐
घ) सरकारी / रक्षा सेवा पहचान पत्र ☐	घ) बिजली बिल ☐
ङ) प्रतिष्ठित नियोक्ता का पहचान पत्र ☐	ङ) टेलीफ़ोन बिल ☐
च) ड्राइविंग लाइसेंस ☐	च) बैंक खाता विवरण ☐
छ) डाकघर द्वारा जारी फ़ोटो पहचान पत्र ☐	छ) प्रतिष्ठित नियोक्ता का पत्र ☐
ज) यूजीसी/एआइसीटीई द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों/संस्थानों के प्रमाणिक छात्रों को जारी फ़ोटो पहचानपत्र ☐	ज) किसी मान्यताप्राप्त सरकारी का पत्र ☐
झ) किसी मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकरण या सरकार कर्मचारी का पत्र जिसमें ग्राहक की पहचान एवं निवास का पता सत्यापित किया गया हो। ☐	झ) राशन कार्ड ☐
	ट) पंजीकृत लीव-लाइसेंस करार/विक्रय विलेख/पट्टा करार की प्रतियां ☐
	ठ) विश्वविद्यालय/संस्थान (यूजीसी/एआर्ससीटीई द्वारा अनुमोदित) के होस्टल जहां छात्र रहता है, के वार्डन द्वारा जारी प्रमाण पत्र* ☐
	ड) संबंधियों के साथ रहने वाले छात्रों के लिए, संबंधियों के पते के प्रमाण के साथ उनकी पहचान का प्रमाण भी* ☐
सं. **जारीकर्ता :** **जारी करने की दिनांक :**	**सं.** **जारीकर्ता :** **जारी करने की दिनांक :**

कृपया पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण की स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित एक-एक प्रति संलग्न करें, जिनकी मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी होंगी।

*बचत बैंक नियम देखें।

परिचय विवरण

मैं _____ जिसकी सीआइएफ़ सं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ हैं, पुष्टि करता/करती हूँ

कि मैं पिछले _____ माह/वर्षों से भारतीय स्टेट बैंक का/की एक खाताधारक हूँ जिसकी खाता संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ है और आवेदक (आवेदकों) को _____ माह/वर्षों से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और उसकी/उनकी पहचान और उपर्युक्त पते की पुष्टि करता/करती हूँ और इस फ़ॉर्म के तीसरे पृष्ठ के साथ संलग्न फ़ोटो भी प्रमाणित करता/करती हूँ।

केवल छोटे खाते के मामले में आवश्यक है। यदि पूर्ण केवाईसी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है, तो आवश्यक नहीं।

दिनांक : दि. दि. मा. मा. व. व. व. व.

_____
परिचयदाता के हस्ताक्षर

_____
हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता (हस्ताक्षर नमूना क्रमांक और स्टाम्प)

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट उदारीकृत केवाईसी मानदण्डों के अंतर्गत मेरे छोटे जमा खाते को खोलने के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सहमति प्रदान करने के साथ जब कभी भी मेरे खाते में इस संबंध में निर्धारित सीमाओं से अधिक के शेष या कुल वार्षिक लेनेदेन अधिक होने पर अपेक्षित केवाईसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का मैं वचन देता/देती हूँ। हमारे द्वारा ऐसा नहीं करने पर भा. रि. बैंक के निर्देशानुसार बैंक को यह अधिकार है कि वह पूर्व सूचना देकर खाते का परिचालन रोक दें।

_____
आवेदक के हस्ताक्षर

अन्य खातों के विवरण

कृपया हमारे/अन्य बैंक में आपके अन्य खातों के विवरण प्रस्तुत करें। *अनिवार्य

बैंक	शाखा	खाता/सुविधा(ओं) का (के) प्रकार	खाता संख्या

दिनांक : दि. दि. मा. मा. व. व. व. व.

स्थान : _____

जमाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(केवल काली स्याही से हस्ताक्षर करें)

कार्यालय उपयोग हेतु

एक या दो पहचान चिन्ह, जैसे तिल या दाग़, यदि कोई हो, के विवरण (निरक्षर आवेदक के लिए अनिवार्य) _____

सत्यापनकर्ता अधिकारी/सीआइएफ़ खोलें		**सीआइएफ़ खोली गई**	
हस्ताक्षर :			
नाम :	नमूना हस्ताक्षर क्रमांक :	(प्राधिकृत हस्ताक्षरी)	
पदनाम :	दिनांक :	दिनांक :	नमूना हस्ताक्षर क्रमांक :

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

दिनांक : दि. दि. मा. मा. व. व. व. व. (केवल कार्यालय के उपयोग हेतु) खाता सं.

शाखा नाम एवं कोड नम्बर की रबड़ स्टाम्प लगाएं।

खाते का प्रकार

बचत बैंक खाता (चैक बुक के साथ)	☐	आवर्ती जमा	☐
बचत बैंक खाता (बिना चैक बुक)	☐	सावधि जमा	☐
नो–फ्रिल्स खाता	☐	विशेष सावधि जमा	☐
सेविंग्स प्लस खाता	☐	बहु–विकल्प जमा योजना निम्न से सबंद्ध	☐
प्रीमियम बचत खाता	☐	बचत खाता ☐ चालू खाता ☐	
चालू खाता	☐	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) _____	

कृपया खोले जाने वाले खाते का प्रकार टिक करें। विभिन्न योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया बैंक के पदाधिकारियों से संपर्क करें।

आवेदक (कों) के विवरण :

एकल/प्रथम धारक का नाम : सीआइएफ़ सं. (शाखा/एलसीपीसी द्वारा भरी जाए)

नाम | मध्यनाम | कुलनाम

द्वितीय धारक का नाम : सीआइएफ़ सं. (शाखा/एलसीपीसी द्वारा भरी जाए)

नाम | मध्यनाम | कुलनाम

तृतीय धारक का नाम : सीआइएफ़ सं. (शाखा/एलसीपीसी द्वारा भरी जाए)

नाम | मध्यनाम | कुलनाम

खाता नाम :

खाता नाम जैसा कि पासबुक/खाता विवरण पर लिखा जाएगा (केवल संयुक्त खातों के लिए)

अपेक्षित सेवाएं :

1. एटीएम–सह–डेबिट : (अंतर्राष्ट्रीय कार्ड और उसी प्रकार के अन्य कार्डों के लिए, अलग से आवेदन प्रस्तुत किया जाए)

आवेदक संख्या	कार्ड का प्रकार	नाम जैसा कार्ड पर लिखा हो
प्रथम	☐ देशीय ☐ स्वर्ण अंतर्राष्ट्रीय ☐ _____	
द्वितीय	☐ देशीय ☐ स्वर्ण अंतर्राष्ट्रीय ☐ _____	
तृतीय	☐ देशीय ☐ स्वर्ण अंतर्राष्ट्रीय ☐ _____	

किसी अन्य खाते का उल्लेख करें जिसे आप सम्बद्ध करना चाहते हैं :

खाता प्रकार | खाता संख्या | नाम

खाता प्रकार | खाता संख्या | नाम

2. इंटरनेट बैंकिंग : **देखने के अधिकार किसे दिए जाने हैं :** ☐ प्रथम आवेदक ☐ द्वितीय आवेदक ☐ तृतीय आवेदक **लेन–देन के अधिकार किसे दिए जाने हैं :** ☐ प्रथम आवेदक ☐ द्वितीय आवेदक ☐ तृतीय आवेदक

3. मोबाइल बैंकिंग : **मोबाइल बैंकिंग सुविधा इस नम्बर पर उपलब्ध करें :** _____

4. एसएमएस अलर्ट्स : **भाग– I में उल्लिखित मोबाइल नम्बर पर एसएमएस अलर्ट्स** ☐ चाहिए ☐ नहीं चाहिए

5. चैक बुक : **चैक बुक का प्रकार :** ☐ साधारण ☐ बहु-शहरी* ☐ दोनों प्रकार की. *बहुनगरीय चैक्स पर शुल्क लागू

6. विवरण किस अंतराल पर चाहिए (चालू खाते के लिए) ☐ मासिक ☐ त्रैमासिक ☐ अर्धवार्षिक

भाग– I में उल्लिखित ई–मेल आइडी पर ई–विवरण भेजना : ☐ भेजा जाए ☐ नहीं भेजा जाए

परिचालन–विधि

☐ केवल स्वयं ☐ कोई एक या उत्तरजीवी ☐ पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी ☐ कोई भी या उत्तरजीवी ☐ संयुक्त रूप से ☐ अन्य _____

नमूना हस्ताक्षर

इस बॉक्स के अंदर पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपकाएं प्रथम आवेदक	इस बॉक्स के अंदर पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपकाएं द्वितीय आवेदक	इस बॉक्स के अंदर पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपकाएं तृतीय आवेदक

कृपया केवल काली स्याही से हस्ताक्षर करें।

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान/प्रथम आवेदक हस्ताक्षर	नमूना हस्ताक्षर सं. और सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान/द्वितीय आवेदक हस्ताक्षर	नमूना हस्ताक्षर सं. और सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान/तृतीय आवेदक हस्ताक्षर	नमूना हस्ताक्षर सं. और सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

1. सावधि जमा ☐ / विशेष सावधि जमा ☐

राशि : रु. _____ (शब्दों में) _____

अवधि : _____ वर्ष _____ माह _____ दिन. सावधि जमा के मामले में, देय ब्याज : ☐ मासिक ☐ त्रैमासिक

परिपक्वता अनुदेश :		**भुगतान अनुदेश** (मूलराशि एवं ब्याज) :
☐ मूलराशि का स्वत: नवीकरण* ☐ मूलराशि और ब्याज का स्वत: नवीकरण* ☐ मूलराशि का स्वत: नवीकरण और ब्याज का भुगतान*	निम्न अवधि के लिए स्वत: नवीकरण _____ वर्ष _____ माह _____ दिन	☐ मेरे निम्न बैंक खाते में जमा करें. खाता सं. :
☐ मूल राशि एवं ब्याज का भुगतान करें ☐ मूल राशि का भुगतान करें		☐ बैंकर के चैक/डिमाण्ड ड्राफ़्ट द्वारा

*नवीकरण उस समय लागू ब्याज दर पर किया जाएगा।

2. बहु-विकल्प जमा योजना

मैं/हम एतदद्वारा बचत बैंक और चालू खाते के लिए सामान्यत: लागू सेवा शुल्क वसूल करने हेतु मेरे/हमारे खाते को नामे करने के लिए सहमति देता हूँ/देते हैं।

संबंधित बचत बैंक/चालू खाता सं.

3. आवर्ती जमा

मासिक किस्त रु. _____ ☐ स्थायी अनुदेश (यदि कोई हो) खाता क्रमांक के नामे करें।

अवधि : _____ वर्ष _____ माह ☐ परिपक्वता पर, प्राप्त राशियों को खाता क्रमांक में जमा करें।

4. सेविंग्स प्लस ☐ /प्रीमियम बचत खाता ☐

स्वत: अंतरण (आटो स्वीप) सुविधा के अंतर्गत बचत/चालू खाता सावधि जमा खाते से जुड़ा रहता है। आपके सेविंग्स प्लस/प्रीमियम बचत खाते में प्रारंभिक राशि से अधिक जमा राशि, एक बार में रु. 10,000/- की न्यूनतम राशि और रु. 1000/- के गुणक में, बहु-विकल्प जमा (एमओडी) में अंतरित हो जाती है और इस पर बहु विकल्प जमा (एमओडी) के लिए लागू ब्याज दर से ब्याज मिलता है।

प्रारंभिक राशि* रु.

जरूरी न्यूनतम जमा राशि :
सेविंग्स प्लस खाता : रु. 5000/-
प्रीमियम सेविंग्स खाता : रु. 25,000/-

अंतरण का समय : _____ प्रत्येक सप्ताह का दिन (उदाहरण के लिए सोमवार, मंगलवार को), (केवल सेविंग्स प्लस खाते के लिए)
या उदाहरणार्थ प्रत्येक माह प्रथम, द्वितीय दिन) दिनांक दि. दि. मा. मा. व. व. व. व. से।

एमओडी (मोड) को तोड़ने के लिए रिवर्स स्वीप सुविधा के अंतर्गत, मोड को तोड़ा जाएगा : ☐ प्रथम को आखिर में ☐ प्रथम को प्रथम में।

5. नो-फ्रिल्स खाता

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी वर्तमान कुल मासिक आय रु. 5,000/- से अधिक नहीं है। जब कभी भी यह रु. 5,000/- से अधिक होती है, मैं आपको सूचित करुंगा/करुंगी। मैं समझता/समझती हूँ कि आवर्ती जमा या सावधि जमा जैसे अन्य देयता उत्पाद सहित मेरे व्यवसाय संबंध की राशि रु. 10,000/- से अधिक होती है, तो यह खाता नो-फ्रिल्स खाता नहीं रह जाएगा। उसके बाद यह एक सामान्य बचत बैंक खाता माना जाएगा और इस प्रकार के खातों के लिए लागू निबंधन एवं शर्तें इस पर लागू होंगी। मैं समय-समय पर निर्धारित 'अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी मानदण्डों का पालन करुंगा/करुंगी।

6. कोई एक या उत्तरजीवी या कोई भी या उत्तरजीवी परिचालन विधि वाले संयुक्त खातों के लिए

हम सूचित करते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक हम में से किसी को भी नियत तिथि से पूर्व या किसी भी दिन, नियत तिथि को या उसके बाद और जहां नियत तिथि निर्धारित नहीं है, वहां मांग पर मूलराशि का ब्याज सहित भुगतान कर सकता है। हम में से किसी एक को किया गया भुगतान तब तक बैंक के हम सभी के प्रति बैंक के दायित्व से मुक्त कर देगा, जब तक कि आपको हम दोनों या हम सभी से इसके विपरीत कोई सूचना प्राप्त नहीं होती। किसी एक की मृत्यु के मामले में, उत्तरजीवी, (उत्तरजीवियों) को राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

मैंने/हमने चुने गए उत्पादों/सेवाओं के नियमों एवं विनियमों को पढ़ और समझ लिया है और उनके संचालन से संबंधित निबंधनों एवं शर्तों और समय-समय पर उसमें होने वाले परिवर्तनों का भी पालन करने के लिए मैं/हम सहमत हूँ/हैं। बचत बैंक नियमों एवं विनियमों की एक प्रति टियर ऑफ़ मोड के द्वारा मुझे उपलब्ध करा दी गई है। इसके अतिरिक्त, मैं/हम समझता हूँ। समझते हैं कि बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर प्रदर्शित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अपने मोबाइल हैण्डसेट से एमपीआइएन का उपयोग करते हुए इस खाते को परिचालित करने का विकल्प मेरे/हमारे पास है। इसके अलावा, मैंने/हमने बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर उपलब्ध ''आनलाइन एसबीआइ'' की सेवा शर्तों के दस्तावेज में समाविष्ट प्रावधानों को पढ़कर समझ लिया है और उन्हें स्वीकार करता हूँ/करते हैं। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि ''ऑनलाइन एसबीआई'' पर मेरे यूज़रनेम और पासवर्ड से निष्पादित किए गए लेनदेन मुझे/हम पर बाध्यकारी रहेंगे। बैंक को समय-समय पर ''ऑनलाइन एसबीआई'' की सेवा शर्तों के दस्तावेज में संशोधन करने का अधिकार है।

प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर	द्वितीय आवेदक के हस्ताक्षर	तृतीय आवेदक के हस्ताक्षर

कृपया काली स्याही से हस्ताक्षर करें।

नामांकन :

नामांकन यदि आवश्यक हो, तो पृष्ठ सं. 2 पर फ़ॉर्म डीए- 1 भरें, अन्यथा नीचे हस्ताक्षर करें।

मैं/हम इस खाते में किसी व्यक्ति का नामांकन नहीं चाहता/चाहती हूँ/हैं।		

कृपया काली स्याही से हस्ताक्षर करें।

कार्यालय उपयोग हेतु

प्रमाणित किया जाता हैं कि जमाकर्ता को खाते के परिचालन हेतु निहितार्थी एवं शर्तों को स्पष्ट कर दिया गया है (केवल निरक्षर आवेदक के मामले में)

खाता खोलें :

दिनांक दि. दि. मा. मा. व. व. व. व. (प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

खाता संख्या दी गई :

दिनांक दि. दि. मा. मा. व. व. व. व. (प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

i) इंटरनेट बैंकिंग अधिकार देखने हेतु _____ आद्यक्षर

ii) आइएनबी देखने ☐ लेन-देन करने ☐ के अधिकार देने की तिथि दि. दि. मा. मा. व. व. व. व. आद्यक्षर

iii) मोबाइल बैंकिंग एमपीआईएन दिए जाने की तिथि दि. दि. मा. मा. व. व. व. व. आद्यक्षर

iv) एटीएम कार्ड डाटा अंतरित करने की तिथि : दि. दि. मा. मा. व. व. व. व. आद्यक्षर

v) नामांकन क्रमसंख्या : आद्यक्षर

vi) प्रारंभिक (केवाईसी) सीमा : आद्यक्षर

vii) व्यवसाय प्रतिनिधि/व्यवसाय सहयोगी के माध्यम से खोला गया खाता - हां/नहीं
यदि हां, तो नाम/पदनाम : _____

व्यवसाय प्रतिनिधि/व्यवसाय सहयोगी
का कोड क्रमांक : आद्यक्षर

viii) राशि अंतरित करने/मूल शाखा में परिवर्तन करने की तिथि : दि. दि. मा. मा. व. व. व. व. आद्यक्षर

ix) खाता बंद करने की तिथि : दि. दि. मा. मा. व. व. व. व. आद्यक्षर

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

बचत बैंक नियम

इसे फाड़कर ग्राहक को दिया जाए

'अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी दिशा-निर्देश

हर वह व्यक्ति खाता खोलने की अपेक्षाओं को पूरा करके बचत बैंक खाता खोल सकता है जो निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए सहमत हो और बैंक की अपेक्षा के अनुसार अपनी पहचान और अपने पते का प्रमाण प्रस्तुत करे. (नियम सं. 1)

पहचान का प्रमाण

1. पासपोर्ट, यदि पता खाता खोलने के फ़ॉर्म में उल्लिखित पते से अलग हो.
2. मतदाता पहचान-पत्र, यदि पता खाता खोलने के फ़ॉर्म में उल्लिखित पते से अलग हो
3. पैन कार्ड
4. सरकारी/रक्षा सेवा पहचान पत्र
5. प्रतिष्ठित नियोक्ताओं के पहचान पत्र
6. ड्राइविंग लाइसेंस
7. पेंशन भुगतान आदेश (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), यदि पता खाता खोलने के फ़ॉर्म में उल्लिखित पते से अलग हो
8. डाकघरों द्वारा जारी फ़ोटो पहचान पत्र
9. यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों/संस्थानों के प्रामाणिक छात्रों को जारी फ़ोटो पहचान पत्र
10. किसी मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकरण या सरकारी कर्मचारी का पत्र जिसमें बैंक की संतुष्टि के अनुसार ग्राहक की पहचान एवं निवास के पते को सत्यापित किया गया हो।

पते का प्रमाण

1. क्रेडिट कार्ड विवरण
2. वेतन पर्ची
3. आय कर/धन-संपदा कर निर्धारण
4. बिजली बिल
5. टेलीफ़ोन बिल
6. बैंक खाता विवरण
7. किसी प्रतिष्ठित नियोक्ता का पत्र
8. किसी मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकरण का पत्र
9. राशन कार्ड
10. पंजीकृत लीव-लाइसेंस करार/विक्रय विलेख/पट्टा करार की प्रतियां पते के प्रमाणस्वरूप स्वीकार की जा सकती हैं।
11. छात्रावास द्वारा जारी प्रमाणपत्र और निवास का प्रमाण जिसमें छात्र का स्थानीय और स्थायी पता दिया गया हो और जो उस विश्वविद्यालय/संस्थान के होस्टल के वार्डन जहां छात्र रहता है, द्वारा जारी रजिस्ट्रार/प्राचार्य/डीन आफ़ स्टूडेन्ट वल्फ़ेयर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो। ऐसे खाते शिक्षा पूरी होने/विश्वविद्यालय/संस्थान छोड़ने पर बंद कर दिए जाने चाहिएं।
12. ऐसे छात्र जो अपने संबंधियों के साथ रह रहे हैं, संबंधियों के पते के प्रमाण के साथ-साथ उनकी पहचान के प्रमाण को भी स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते संबंधी द्वारा इस बात की घोषणा पत्र दिया जाए कि वह छात्र उनका संबंधी है और उनके साथ रह रहा है।

नामांकन एवं उत्तरजीविता सुविधा

बचत बैंक खातों पर नामांकन सुविधा उपलब्ध है और खाताधारकों को सूचित किया जाता है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों में विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दावे का आसानी से निपटान करने हेतु वे इस सुविधा का लाभ उठाएं। नामांकन केवल एक नॉमिती के पक्ष में किया जा सकता है। यदि वे नामांकन करना चाहते हैं, तो वे खाता खोलने के फ़ॉर्म पर इस तथ्य को दर्ज करें और इस पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर कर दें। ऐसी परिस्थितियों में उत्तरीजीविता सुविधा वाले संयुक्त खाते का परिचालन उत्तरजीवी द्वारा किया जा सकता है (नियम सं. 10 , 2)।

नियमों के प्रकार, शेष निर्धारण और सेवा शुल्क

आवेदक चैकबुक सुविधा के साथ या चैकबुक सुविधा के बिना खाते खोल सकते हैं। इस प्रकार के खातों के लिए निर्धारित वर्तमान न्यूनतम तिमाही औसत शेष और न्यूनतम शेष नहीं रखने पर लगने वाले निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर उपलब्ध हैं। यह सूचना शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। बचत बैंक खातों में उच्चतम शेष की कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, सिवा अवयस्क खाते के (नियम सं.-11,12)।

अवयस्क के खाते

ऐसे अवयस्क जो एक समान हस्ताक्षर कर सकते हैं और जिनकी आयु 10 वर्ष से कम न हो, अपने एकल नाम से खाते खोल सकते हैं और उनमें अधिकतम रु. 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) की राशि जमा रख सकते हैं। अवयस्क अपने अभिभावकों के साथ संयुक्त खाते खोल सकते हैं (नियम सं. -3)।

खाता कैसे खोला जा सकता है?

सामान्य प्रक्रिया में, खाता खोलने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आवेदक (कों) को व्यक्तिगत रूप से बैंक में उपस्थित होना चाहिए। वे निर्धारित फ़ॉर्म को विधिवत भरेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे। आवेदक अपने हाल के पासपोर्ट आकार के दो फ़ोटो जमा करेगा/करेंगे। खाताधारक के हस्ताक्षर स्पष्ट और सही रूप में होने चाहिए। हस्ताक्षर बड़े एवं मोटे अक्षरें में नहीं होने चाहिए। प्रत्येक खाते को एक अलग संख्या दी जाएगी। बैंक के साथ लेन देन करते समय, खाताधारक (कों) द्वारा यह संख्या अनिवार्य रूप से उद्धृत की जानी चाहिए। खाताधारकों से उनके स्वयं के हित में यह अपेक्षा की जाती है कि वे खातों को परिचालन करते समय और बैंक के साथ कोई पत्र-व्यवहार करते समय बैंक में दर्ज एक समान नमूना हस्ताक्षर का अनुसरण करें (नियम सं. 7, 8, 9, 13)।

पासबुक

खाताधारक को भेजी गई पासबुक और चैकबुक सुरक्षित स्थान पर रखी जानी चाहिए। इस संबंध में खाताधारक की लापरवाही के कारण होने वाली किसी प्रकार की हानि या ग़लत भुगतान के लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा (नियम सं. 18, 29)। धन निकासी फ़ॉर्म के माध्यम से धन निकालने के लिए, पासबुक अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए। चैक फ़ार्मों और डेबिट कार्ड के माध्यम से बिना पासबुक के भी धन निकाला जा सकता है। पासबुक प्रस्तुत किए बिना भी राशि जमा की जा सकती है (नियम सं. 15)। पासबुक नियमित रूप से अद्यतन करवाई जानी चाहिए। लेनदेन पूरा होने के बाद अद्यतन पासबुक तुरंत खाताधारक को वापस की जाएगी। यदि यह एक सप्ताह के अंदर वापस नहीं ली जाती है, तो यह खाताधारक को उनके ख़र्च पर पंजीकृत ए. डी. डाक/कुरियर द्वारा वापस भेज दी जाएगी (नियम सं. 16)। खाताधारक सावधानीपूर्वक अपनी पासबुक की प्रविष्टियों की जांच करें और यदि कोई ग़लतियाँ या चूक पाई जाएँ तो बैंक को सूचित करें (नियम सं. 17)।

गुम हुई या कटी-फटी पासबुक के बदले में डुप्लिकेट पासबुक खाताधारक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर आवश्यक प्रविष्टियां करने, औपचारिकताएं पूरी करने और निर्धारित शुल्कों की वसूली करने के बाद जारी की जाएँगी। इसके लिए वर्तमान निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर उपलब्ध हैं। यह सूचना शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है (नियम सं. 20)।

नियमों में परिवर्तन

बैंक को इन नियमों में से किसी भी नियम में एवं सेवा शुल्कों में परिवर्तन करने, हटाने या जोड़ने को अधिकार है जिसके लिए ग्राहक को बैंक की वेबसाइट तथा/अथवा शाखा नोटिस बोर्ड के माध्यम से विधिवत रूप से सूचित किया जाएगा (नियम सं. 39, 46)। विस्तृत बचत बैंक नियम बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर उपलब्ध हैं या अनुरोध करने पर सभी शाखाओं से प्राप्त किए जा सकते हैं.

चेक बुक

खाता खोलने से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद बैंक प्रथम चैक बुक जारी करेगा। एक वर्ष में पच्चीस चैक पन्ने (माइकर और गैर-माइकर दोनों) जारी करने के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। उसके बाद, ग्राहक के खाते से सेवा शुल्क वसूल किया जाएगा। इसके लिए वर्तमान निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर उपलब्ध हैं। यह सूचना शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। खाताधारकों को केवल बैंक द्वारा उन्हें जारी की गई चुक बुकों से ही चैकों को उपयोग करना चाहिए, अन्यथा लिखे गए किभी भी चैक का भुगतान करने से इनकार करने का बैंक को अधिकार है। सामान्यत: बैंक एक बार में एक से अधिक चैक बुक जारी नहीं करेगा या पिछली बार जारी सभी या लगभग सभी चैक पन्नों के समाप्त होने से पूर्व एक से अधिक चैक बुक जारी नहीं करेगा (नियम सं. 27) चैक पर लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए और प्रत्येक परिवर्तन या कांट-छांट पूर्ण हस्ताक्षर से प्राधिकृत की जानी चाहिए और इनका बैंक में दर्ज नमूना हस्ताक्षर से मिलान होना चाहिए (नियम सं. 28)। जारी या गुम हुए चैकों का भुगतान रोकने संबंधी अनुदेश निर्धारित सेवा शुल्क का भुगतान करने पर बैंक के पास पंजीकृत करवाए जा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित वर्तमान शुल्क बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर उपलब्ध हैं। यह सूचना शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है (नियम सं. 32)।

tear off from here

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

खाते में परिचालन

सामान्य

बचत बैंक खाता मूलत: बचत करने की एक सुविधा है और इसलिए चालू खाते के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बैंक, किसी भी कारण के इस बात का विश्वास होने पर कि खाताधारक ने अपने खाते का उपयोग ऐसे किसी प्रयोजन से किया है जिसकी उसे अनुमति नहीं है, खाता बंद कर सकता है (नियम सं. 5)।

जमा

खाते में राशि जमा करने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। रु. 10/- से कम की नकद जमा स्वीकार नहीं की जाएगी। खाते में जमा करने हेतु केवल खाताधारक के पक्ष में लिखे गए चैक, ड्राफ़्ट या अन्य लिखत स्वीकार किए जाएंगे। खाताधारक के पक्ष में पृष्ठांकित अन्य पक्ष वाले लिखत स्वीकार **नहीं** किए जाएंगे। स्वीकार किए गए लिखतों पर सामान्यत: उनकी राशि वसूल होने तक राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, संतोषजनक रूप से संचालित खातों में, रु. 20,000/- तक, के जमा किए गए बाहरी लिखतों की राशि तुरंत जमा कर दी जाएगी। इस सीमा में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। सामान्य संग्रहण एवं फुटकर शुल्क वसूल किए जाएंगे। इसके लिए निर्धारित शुल्क एवं चालू सीमा बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर उपलब्ध हैं। यह सूचना शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। बाद में बिना भुगतान के वापस आने वाले लिखतों के लिए अतिदेय ब्याज वसूल किया जाएगा(नियम सं. 21,22,23)।

धन निकासी

खाताधारक बैंक के मानक धन निकासी फ़ॉर्म का उपयोग करके अपने साधारण बचत बैंक खाते से व्यक्तिगत रूप से धन निकाल सकता/सकती है। धन निकासी फ़ॉर्म के साथ पासबुक प्रस्तुत की जानी चाहिए। धन निकासी फ़ॉर्म का उपयोग खाताधारक द्वारा स्वयं भुगतान प्राप्त करने हेतु ही किया जा सकता है। एटीएम सह डेबिट कार्ड का एटीएमों से नकद धन निकासी हेतु भी उपयोग किया जा सकता है। खाताधारक रु. 50/- से कम राशि नहीं निकाल सकता है। सभी धन निकासियां पूर्ण रूपए में होनी चाहिए। धन निकासी फ़ॉर्म के माध्यम से अन्य पक्ष (थर्ड पार्टी) भुगतान अनुमत नहीं है। यदि खाताधारक अपने खाते से नकद धन निकालने हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है, तो भुगतान प्राप्त करने के लिए किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में एक प्राधिकार पत्र पासबुक के साथ बैंक को भेजा जाना चाहिए (नियम सं. 24, 25, 26)। एक चैक फ़ॉर्म से न्यूनतम रु. 50/- की राशि निकाली जा सकती है। एक चेक से अधिकतम राशि की निकासी से संबंध में कोई उच्चतम सीमा नहीं रखी गई है (नियम सं. 30)। एक खाते में अनुमत नामे प्रविष्टियों की अधिकतम संख्या प्रति छमाही 30 है या जो समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित की गई हो, जिसमें स्टेट बैंक एटीएमों और इंटरनेट बैंकिंग जैसे वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल नहीं हैं। उपर्युक्त प्रयोजन हेतु अन्य बैंकों के एटीएमों से नकद धन निकासी की गिनती खाते में नामे प्रविष्टि के रूप में की जाएगी और इन्हें वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से किया गया लेनदेन नहीं माना जाएगा। इस सीमा से अधिक होने पर लगने वाले निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर उपलब्ध हैं। यह सूचना शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है (नियम सं. 35)। ऐसे बीमार, वृद्ध या अशक्त खाताधारकों के खातों से निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नकद धन निकासी की जा सकती है जो नकद धन निकासी हेतु बैंक में उपस्थित होने में असमर्थ हैं तथा/अथवा हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने में भी समर्थ नहीं हैं। (नियम सं. - 33)।

ओवरड्राफ़्ट

बचत बैंक खातों में ओवरड्राफ़्ट केवल पूर्व व्यवस्थाओं के साथ अपवादात्मक परिस्थितियों में ही अनुमत किए जा सकते हैं। खाते में शेष से अधिक राशि निकालने के लिए प्रस्तुत चैक बिना भुगतान के वापस कर दिए जाएंगे। यदि कोई चैक खाते में पर्याप्त राशि की कमी के कारण बिना भुगतान वापस किया जाता है, तो प्रत्येक बार सेवा शुल्क वसूल किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर उपलब्ध हैं। यह सूचना शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। (नियम सं. 31)।

निष्क्रिय खाते

खाताधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने खाते नियमित रूप से परिचालित करें। परिचालित नहीं हुए खातों को पिछले परिचालन से 24 महीने की निर्धारित समय अवधि के बाद निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। ऐसे निष्क्रिय खाते जिनमें निर्धारित न्यूनतम शेष से कम राशि रह जाएगी। निष्क्रिय के रूप में खाते का वर्गीकरण होने के बाद प्रथम वर्ष के अंत में सेवा शुल्क लगाया जाएगा और उसके बाद यदि खाता निष्क्रिय रहता है, तो प्रति वर्ष सेवा शुल्क लगाया जाएगा। यदि उस खाते में जमा राशि सेवा शुल्क के समान या कम है, तो वह खाता बंद कर दिया जाएगा और उसकी सूचना खाताधारक को दे दी जाएगी। इस संबंध में वर्तमान शुल्क बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर उपलब्ध हैं। यह सूचना शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। (नियम सं. 36, 37)।

स्थायी अनुदेश

खाताधारक अपने खाते को नामे करके बीमा-प्रीमियम, सदस्यता-शुल्क आदि का आवधिक भुगतान करने हेतु सेवा शुल्कों का भुगतान करने पर बैंक से अनुरोध कर सकता है। स्थायी अनुदेश से संबंधित वर्तमान निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर उपलब्ध हैं। यह सूचना शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है (नियम सं. 40)।

ब्याज का भुगतान

प्रत्येक कैलेण्डर माह के लिए निर्धारित दर से ब्याज की गणना माह की दस तारीख़ और माह के आखिरी कार्य दिवस के बीच खाते के न्यूनतम जमा शेष पर की जाएगी। खाते में ब्याज जनवरी और जुलाई में छमाही अंतराल पर जमा किया जाएगा। यदि ब्याज रु. 1/- या उससे अधिक होता है, तो उसका भुगतान किया जाएगा और उसे निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। बचत बैंक खातों में ब्याज का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अधीन है और उसमें कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से अधिसूचित किया जा सकता है (नियम सं. 41, 42)।

खाते का अंतरण और बंद करना

खाताधारक (कों) के अनुरोध पर बैंक की शाखाओं के बीच खाते का अंतरण किया जा सकता है। खाते को बंद करने संबंधी अनुरोध में बंद करने के कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसे अनुरोध के साथ पासबुक, उपयोग में नहीं लिए हुए चैक पन्ने और एटीएम सह डेबिट कार्ड (मैग्नेटिक स्ट्रिप के आरपार दो टुकड़ों में काटने के बाद) अवश्य संलग्न होने चाहिए। संयुक्त खाते सभी संयुक्त खाताधारकों के हस्ताक्षर होने पर ही बंद किए जा सकते हैं। यदि किसी खाते को खाता खोलने की तिथि के बारह महीने से पूर्व बंद किया जाता है, तो निर्धारित दर से सेवा शुल्क वसूल किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित वर्तमान शुल्क बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर उपलब्ध हैं। यह सूचना शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है (नियम सं. 43, 44, 45)।

विस्तारित नियम बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर या निवेदन करने पर सभी शाखाओं में उपलब्ध।

tear off from here